तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/117/2004/अलवर** **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर बनाम राजाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री विजेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी
(2) श्री खडग सिंह अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय **दिनांक : 10.8.18**

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 31–5–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध धारा 91भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही के तहत विवादित भूमि खसरा नम्बर 361रकबा 2बीघा ग्राम बाबरिया तहसील बानसूर की बाबत तहसीलदार बानसूर द्वारा प्रकरण भू आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष नियमन के लिये भेजा गया। जिस पर भू आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 5–1–2002को उक्त विवादित भूमि नियमन योग्य नहीं मानकर तहसीलदार बानसूर की सिफारिश खारिज कर दी जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–5–03 के द्वारा विवादित भूमि को किस्म परिवर्तन करने एवं नियमन किये जाने हेतु निर्देश देकर प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भेज दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन जोहड दर्ज थी। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसी भूमि का आवंटन अथवा नियमन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/एल आर/117/2004/अलवर</u>** **<u>राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर बनाम राजाराम</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं किया जा सकता है।जिसे नजर अन्दाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है। भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि को नियमन येाग्य नहीं पाये जाने के कारण ही प्रत्यर्थी का नियमन का प्रार्थना पत्र खारिज किया था। लेकिन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5– प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी पर प्रत्यर्थी का कब्जा तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–7–84 से पूर्व का माना है। प्रत्यर्थी का वादग्रस्त आराजी पर पुराना कब्जा होना साबित है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड है लेंकिन मौके पर काबिल काश्त है। इसी आधार पर अपीलीय न्यायालय ने किस्म परिवर्तन करने एवं नियमन किये जाने हेतु भू आवंटन सलाहकार समिति को भेजा है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है इसलिये राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 5–1–02को आवंटन सलाहकार समिति ने प्रत्यर्थी का वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा न होने के कारण नियमन किया जाना उचित नहीं मानते हुये नियमन की सिफारिश खारिज की है। भू आवंटन सलाहकार समिति में सरपंच,प्रधान, विकास अधिकारी, तहसीलदार व सहायक कलेक्टर मौजूद थे जिनकी सर्वसम्मति से नियमन की सिफारिश खारिज की गई है। इसके अलावा भी वादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन जोहड है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसी भूमि का आवंटन अथवा नियमन नहीं किया जा सकता है। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने येाग्य है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/117/2004/अलवर** **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर बनाम राजाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–5–03 निरस्त किया जाकर भू आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 5–1–02 की पुष्टि की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	